Court
No
10/6

# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

**पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण सं. 235/2023**

**वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुखपाल सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री बचन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. निर्मल सिंह पुत्र श्री बलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुखविन्द्र कौर पुत्री श्री बलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. गगनदीप कौर पुत्री श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री प्रिंस मिढ़ा, एडवोकेट

**निर्णय दिनांक :-** 18.6.2023

वादी सुखपाल सिंह ने प्रतिवादीगण बलजिन्द्र सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का दादा, प्रतिवादी सं. 2 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 3 वादी की बुआ, प्रतिवादी सं. 4 वादी की बहिन है जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 के दादा, प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 60/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.783 है. कृषि भूमि, वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 के दादा, प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इसी चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 59/43 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.759 है. कृषि भूमि तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 के दादा, प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इसी चक 14 ए.

लगातार --2

10/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल बोलांवाली

एम.पी. के खाता सं. 64/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.506 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने ज़रिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पास अपना जीवनयापन करने के लिये पर्याप्त संसाधन है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 ता 4 अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी को घरू तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :-

(क) वादी सुखपाल सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 60/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.783 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 59/43 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.759 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 64/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.506 है. कृषि भूमि

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

लगातार --3

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल.....

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 5 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 60/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 59/43 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 एवं चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 64/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 3 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 के दादा, प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 60/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.783 है. कृषि भूमि, वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 के दादा, प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इसी चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 59/43 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.759 है. कृषि भूमि तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 के दादा, प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इसी चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 64/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.506 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र पर कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10/6/23
गांवों के संग अभियान
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल....बोलांवाली

लगातार --4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ..........X..........निल ......X...... बाबत् ......X........ निल.........X........ खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .........X.........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 10/6/2023 को जारी किया जाता है।

10/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर स्थल ..........

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

## पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

## प्रकरण सं. 235/2023

सुखपाल सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

\- वादी

बनाम्

1. बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री बचन सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. निर्मल सिंह पुत्र श्री बलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुखविन्द्र कौर पुत्री श्री बलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. गगनदीप कौर पुत्री श्री निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

\- प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.**

दिनांक :- 10.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री प्रिंस मिढा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 60/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.783 है. कृषि भूमि, चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 59/43 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.759 है. कृषि भूमि एवं इसी चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 64/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.506 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

लगातार --2

10/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल...

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official



## -:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 60/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.783 है. कृषि भूमि, चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 59/43 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.759 है. कृषि भूमि एवं इसी चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 64/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.506 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.6.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

शिविर प्रभारी (SDO)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),

शिविर स्थल.... 9 के.एल.वाली

संगरिया